

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या-17/2019-20

प्रथम पक्ष:-छटु मिस्त्री ग्राम-बेलगडा, थाना-सिमरिया, जिला-चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्ष:-इन्द्रदेव विश्वकर्मा एवं अन्य, ग्राम-बेलगडा, थाना-सिमरिया, जिला-चतरा।

1

2

3

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता छटु मिस्त्री एवं लुकेश्वर मिस्त्री पे0-स्व0 रूपलाल मिस्त्री साकिन-बेलगडा, थाना-सिमरिया के अपील आवेदन पर प्रारम्भ की गई। अपीलकर्ता ने यह अपील अंचल अधिकारी, सिमरिया के विविध वाद संख्या-09/2014-15 में दिनांक-20.02.2015 को पारित आदेश के आलोक में दाखिल किया, जिसे विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद प्रविष्टी किया गया। प्रविष्टी के बाद उभय पक्षों से इस वाद की प्रक्रिया में लिखित कथन प्राप्त किया गया। उभय पक्षों ने अपने-अपने दावे के समर्थन में राजस्व कागजात भी दाखिल किया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सूना गया तथा अंत में इस वाद को आदेशार्थ पर रखा गया।

इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों द्वारा दाखिल किये गए लिखित कथन के अवलोकन से तथा पूर्व में अंचल अधिकारी के स्तर से पारित किये गए आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया से संबंधित भूमि का मामला मौजा-बेलगडा के अन्तर्गत खाता नं0-43, प्लॉट नं0-668, रकबा-0.05 एकड़ तथा प्लॉट नं0-670, रकबा-0.10 एकड़ भूमि से संबंधित है। उभय पक्ष आपस में गोतिया हैं तथा विवाद मूलतः हिस्सेदारी को लेकर है। दिनांक-20.01.2015 को अंचल अधिकारी, सिमरिया ने अपने पारित आदेश में यह उल्लेख किया है कि पंचायती के आधार पर दोनों पक्ष के पूर्वज खाता वार्डज बंटवारा किया है तथा पुनः दोनों पक्षों के बीच यह मामला हक-हकियत को लेकर लाया गया है, जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि बंटवारा के मामले में सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय ही है। यद्यपि पूर्व में ही पंचायती बंटवारा के आधार पर उभय पक्ष अपने अंश की भूमि पर काबिज हैं, इसके बावजूद भी यदि बंटवारा के प्रश्न पर उभय पक्षों में असंतुष्टि है, तो इसके लिए वह सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
सिमरिया।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
सिमरिया।